भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3373

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में लंबित अभिघात केन्द्रों का प्रचालन

†3373. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए स्वीकृत, प्रचालित और निर्माणाधीन अभिघात देखभाल केन्द्रों की जिला-बार संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अभिघात देखभाल केन्द्र नहीं हैं अथवा जहां स्वीकृत केन्द्र अभी तक प्रचालित नहीं हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में अभिघात परिचर्या अवसंरचना में विशेषज्ञों, आईसीयू बिस्तरों, ऑपरेशन थिएटरों, रक्त बैंकों और आपातकालीन उपकरणों की उपलब्धता सहित पहचानी गई कमियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में अभिघात देखभाल सुविधाओं के लिए कितनी केन्द्रीय निधि स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में लंबित अभिघात देखभाल केन्द्रों का संचालन करने और अवसंरचना तथा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): 11$^{वीं}$ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007–2012) तथा 12$^{वीं}$ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) के दौरान "ट्रामा एवं बर्न इंज्यूरी की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीपीएमटी एवं बीआई) के अंतर्गत, देशभर के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में 196 ट्रॉमा केयर सुविधा केंद्रों (टीसीएफ) को मंजूरी प्रदान की गई। इन 196 केंद्रों में से निम्नलिखित 13 टीएफसी उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं:-

1) बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर
2) जिला अस्पताल, फैजाबाद

3) केजीएम कॉलेज, लखनऊ
4) एलएलआर अस्पताल एवं जीएसवीएम कॉलेज, कानपुर
5) जिला अस्पताल, जालौन, उरई
6) एमएलबी मेडिकल कॉलेज, झांसी
7) जिला अस्पताल, बस्ती
8) एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा
9) श्री बी ए जिला अस्पताल, इटावा
10) जिला अस्पताल, फतेहपुर
11) एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
12) एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ
13) जिला अस्पताल, ललितपुर

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी 13 टीसीएफ प्रचालनरत हैं। एनपीपीएमटी एंड बीआई योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नई ट्रॉमा केयर सुविधा केंद्रों की पहचान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, स्वीकृत सुविधा केंद्रों /इकाइयों की कुल अनुमोदित लागत के अंदर केंद्र सरकार की सहायता के शेष भाग की राशि जारी करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में एनपीपीएमटी एंड बीआई के अंतर्गत कोई नया टीसीएफ स्वीकृत नहीं किया गया।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य में ट्रॉमा केयर सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी ट्रॉमा केंद्रों पर मानवशक्ति की तैनाती राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
